


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान प्र0सं0 91/2024 सुरेश कुमार बनाम दुर्गा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	--	---

17.02.2025 पत्रावली पेश हुई। उपतहसीलदार सुवाणा जिला भीलवाडा ने पत्र क्रमांक भू0अ0/2024/1015 दिनांक 08.10.2024 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.10.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :-  
ग्राम दांथल पटवार हल्का दांथल तहसील भीलवाडा

खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा
सुरेश कुमार मालावत पुत्र श्री मदनलाल मालावत, निवासी कांवाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा	697/1	0.1138 है0
1.दुर्गा पुत्र नन्दा हिस्सा 2/7	697/2	0.0127 है0
2.दुर्गा पुत्र उंकार हिस्सा 1/14	695	0.3414 है0
3.नारायणी पुत्री उदा हिस्सा 1/7	696	0.3035 है0
4.प्यारी पुत्री उंकार हिस्सा 1/14	698	0.1391 है0
5.बद्रीलाल पुत्र मगना हिस्सा 1/14		
6.लादूलाल पुत्र मगना हिस्सा 1/14		
7.शांता पुत्री उंकार हिस्सा 1/14		
8.संतोक पुत्री उंकार हिस्सा 1/14 जाति बलाई सा0 देह खातेदार		
9.रामू पुत्री मगना हिस्सा 1/14 मृतक के बजाय :- जगदीश पुत्र, श्याम पुत्र, रामेश्वर पुत्र, दुर्गा पुत्री बद्रीलाल बलाई सा0 देह खातेदार		
		कुल किता 04 कुल रकबा 0.7967 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद करें, विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा०दी०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या  
91/2024

पीठासीन अधिकारी:-दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

दायर दिनांक  
14.05.2024  
उनवान

निर्णय दिनांक  
17.02.2024

1. सुरेश कुमार मालावत पुत्र श्री मदन लाल जी मालावत आयु बालिग निवासी कांवाखेड़ा, भीलवाड़ा।

--- वादी

बनाम

1. दुर्गा पुत्र नन्दा बलाई आयु बालिग निवासी चन्द्र बजार के पास, दान्थल तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. प्यारी पुत्री ऊंकार बलाई निवासी चन्द्र बाजार के पास, दान्थल तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. संतोक पुत्री ऊंकार बलाई पत्नि श्री बालू बलाई आयु बालिग निवासी दान्थल तहसील व जिला भीलवाड़ा राज, हाल निवासी राम देव मन्दिर के पास, आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
4. शांता पुत्री ऊंकार बलाई पत्नि श्री गोरू बलाई आयु बालिग निवासी दान्थल तहसील व जिला भीलवाड़ा राज. हाल निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
5. दुर्गा पुत्र ऊंकार बलाई निवासी चन्द्र बाजार के पास, दान्थल तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
6. नारायणी पुत्री उदा बलाई निवासी बड़ला गाँव के पास, पिथास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
7. बद्रीलाल पुत्र मगना बलाई निवासी दान्थल चौराये के पास, ग्राम दान्थल तहसील व जिला भीलवाड़ा
8. लादुलाल पुत्र मगना बलाई निवासी दान्थल चौराये के पास, ग्राम दान्थल तहसील व जिला भीलवाड़ा
9. लाली पुत्री मगना बलाई पत्नि श्री रामलाल बलाई आयु बालिग निवासी दान्थल तहसील व जिला भीलवाड़ा राज. हाल निवासी लसाड़िया बनकाखेड़ा के पास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा हाल जिला शाहपुरा राज.
10. रामु पुत्री मगना बलाई पत्नि श्री बद्री लाल बलाई मृतक के बजाय:-  
10/1 - जगदीश पुत्र बद्रीलाल बलाई आयु बालिग निवासी सामुदायिक भवन के पास, सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.  
10/2 - श्याम पुत्र बद्रीलाल बलाई आयु बालिग निवासी सामुदायिक भवन के पास, सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.  
10/3 - रामेश्वर पुत्र पुत्र बद्रीलाल बलाई आयु बालिग निवासी सामुदायिक भवन के पास, सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.  
10/4 दुर्गा पुत्री बद्रीलाल बलाई आयु बालिग निवासी सामुदायिक भवन के पास, सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।


---प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. वादी अधिवक्ता अमित कोठारी, कुन्दन शर्मा उपस्थित।
2. विपक्षी संख्या 01 से लगायत 09 व 10/1 से लगायत 10/4 उपस्थित नहीं।
3. विपक्षी संख्या 11 की और से पैरोकार सरकार।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 54, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

वादी की और से अधिवक्ता श्री अमित कोठारी, कुन्दनशर्मा उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 9 व 10/1 लगायत 10/4 उपस्थित नहीं। प्रकरण में - इस वाद में तारीख 17.02.2025 पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :-

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

ग्राम दांथल पटवार हल्का दांथल तहसील भीलवाडा

खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा
सुरेश कुमार मालावत पुत्र श्री मदनलाल मालावत, निवासी कांवाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा	697 / 1	0.1138 है०
1. दुर्गा पुत्र नन्दा हिस्सा 2 / 7	697 / 2	0.0127 है०
2. दुर्गा पुत्र उंकार हिस्सा 1 / 14		
3. नारायणी पुत्री उदा हिस्सा 1 / 7	695	0.3414 है०
4. प्यारी पुत्री उंकार हिस्सा 1 / 14	696	0.3035 है०
5. बद्रीलाल पुत्र मगना हिस्सा 1 / 14	698	0.1391 है०
6. लादूलाल पुत्र मगना हिस्सा 1 / 14		
7. शांता पुत्री उंकार हिस्सा 1 / 14	कुल किता 04 कुल रकबा 0.7967 हैक्टेयर	
8. संतोक पुत्री उंकार हिस्सा 1 / 14 जाति बलाई सा० देह खातेदार		
9. रामू पुत्री मगना हिस्सा 1 / 14 मृतक के बजाय :- जगदीश पुत्र, श्याम पुत्र, रामेश्वर पुत्र, दुर्गा पुत्री बद्रीलाल बलाई सा० देह खातेदार		

उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद करें, विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुपडावत)  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहायक कलक्टर  
 भीलवाडा